तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/9/20	पत्रावली पेश हुई बकुवाब पत्रावली उपस्थित वकील अधिवक्ता के जवाब नं. 1 व 3 पर वकील अधिवक्ता के साथ राजकिशोर सिंह द्वारा मिथ्या वाद बाबत अंतरिम 23/9/20 को किये गये। उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.
23/9/20	पत्रावली [illegible] में कोरोना [illegible] होने [illegible] 7/10/20
7/10/20	पत्रावली [illegible] में कोरोना [illegible] होने [illegible] 14/10/20
14/10/20	पत्रावली पेश हुई बकुवाब उभय पक्षकारान उपस्थित। वादी प्रा० पत्र पर राजा का हुई गई पत्रावली का उपलब्ध जवाब/रेप्लाई का अवलोकन किया। अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा दिये तर्क पर मनन किया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत रिमांड से आरावली का साक्ष्य के पूर्वजों के पाडस्वरूप खातेदार कागज का प्रकाशित करने के असफल रहा है। लेकिन गत तथ्यों के आधार पर विचार कर: वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना सम्भव नहीं है। प्रा० पत्र पर रद्दी

65/20 केशव वगैरह 45 विरुद्ध उके विरुद्ध Dec. प्रार्थनापत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर दौराने बहस वकील तायफा ने बताया कि आराजी ख.न. अ.फवा 0.43, 31/0.25, 37/0.31, 52/0.19 ग्राम इमाय रकबा डीग में 1/2 बिघे की आराजी है विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जबकि गैरदायकान का आराजी से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध कभी भी नहीं है। न कभी रिकार्ड खातेदार है न ही काश्तकार है वकील गैरदायकान ने बताया कि उपर्युक्त विवादित आराजी गैरदायकान के दादा पूरन पुत्र कन्हैया की पैतृक काश्त व खातेदारी की आराजी थी लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में तायफान के दादा शामिल पुत्र मनुआ के नाम दर्ज चली आ रही है। इसके बाद गैरदायकान के पिता व दादा पूरन पुत्र कन्हैया ने राजस्व वाद क्रमांक 417/1970 बाबत घोषणा पत्र उपखण्ड अधिकारी डीग के न्यायालय में लगाया जो दिनांक 21/8/1970 को डिक्री होकर नामि. संख्या 172 दि० 11/9/1970 को दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। अतः वकील तायफान का यह कथन कि गैरदायकान का विवादित आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा बिल्कुल गलत है। तथा सैरकोर ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के निर्देश से उक्त आराजी तायफान के नाम दर्ज कर दी। रोजे विद्वान सहायक कलक्टर डीग के बहस के दौरान दिये गये तर्कों के आधार पर आदेश दिया जाता है कि वकील तायफान द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र भार दिनांक अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली क्रमबद्ध मुकदमा दीगर नम्बर के साथ रखी।	

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.